न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 146/2018
किस्म :– वाद–पत्र
दायर दिनांक 06.11.2018
निर्णय दिनांक : 24.02.2026

अनवान

1– इन्द्रा देवी बेवा अम्बालाल जाति गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा
2– सुश्री निकु, पुत्री स्व० अम्बालाल जाति गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा
3– राहुल, पुत्र स्व० अम्बालाल जाति गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा
(दोनों निवासी जीतावास, दोनों जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती इन्द्रा देवी बेवा अम्बालाल जी गाडरी)

वादीगण

बनाम

1– हजारी पुत्र उदयराम गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
2– छगनलाल पुत्र हजारी गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वादः अर्न्तगत धारा – 88,92 ए, आर.टी.ए.

वादी की ओर सेः– अधिवक्ता चावण्ड सिह
प्रतिवादी की ओर सेः– अनुपस्थित

निर्णय

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88 92 ए,के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गाँव जीतावास, पटवार सर्कल जीतावास एवं मण्डफिया (खेड़ा), तहसील रेलमगरा के सामलाती खाता परिशिष्ट–अ व ब में वर्णित आराजीयात का विवरण इस प्रकार है, परिशिष्ठ–अ में खाता संख्या 200, मे आराजी संख्या 291, 296, 313, 314 कुल किता 04 कुल रकबा 18/00 बीघा खातेदार हजारी पिता उदयराम 1/3 हिस्सा, बदीलाल, लेहरू, माधु, चन्दु पिता प्रताप 1/3 हिस्सा, किशनलाल पिता होकम, मु० झमकू बेवा होकम 1/3 हिस्सा गाडरी, सा.देह खातेदार मु.बि.बैंक ऑफ राजस्थान लि० शाखा कूरज हिस्सा किशनलाल व झमकू पर दर्ज रिकोर्ड है। व परिशिष्ठ ब में गाँव मण्डफीया खेडा पटवार हल्का कूरज, खाता संख्या–216 में आराजी नम्बर–5299 रकबा 0–06 बिस्वा, किस्म आ.चा.,उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 हजारी पिता उदयराम का 1/6

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

हिस्सा है। एंव खाता संख्या—210 में आराजी नम्बर—5287 रकबा 0—02 दो बिस्वा किस्म आ.चा. प्रतिवादी संख्या—1 हजारी पिता उदयराम एवं गेंदी बेवा उदयराम, प्रताप, होकमा पिता लखू 1/4 तथा .खाता संख्या—222 में आराजी संख्या 5288, 5291, 5292, 5294, प्रताप पिता लखु 1/3, किशनलाल पिता हुकमा, झमकू बेवा हुकमा 1/3 हजारी पिता उदेराम 1/3 गाडरी सा जीतावास खातेदार मु.बी.क दी बैंक ऑफ राजस्थान लि० शाखा कूरज हिस्सा किशनलाल व झमकी पर दर्ज रिकोर्ड है।

यह कि वादी के खानदान का सजरा निम्न है —

उदेराम (मृतक)
↓
हजारी
↓
↓———————————— ↓
छगनलाल अम्बालाल (फोत)
↓
————————————————————
↓ ↓ ↓
श्रीमती इन्दा देवी पत्नी 30 वर्ष | राहुल पुत्र उम्र 08 वर्ष | निकू पुत्री 12 वर्ष

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मोरुसी आराजीयात होने से मृतक अम्बालाल का हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या—01 में वेस्ट करता है, इसलिये वादीगण मृतक अम्बालाल के हक व हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है, क्योकि हजारी के दो पुत्र छगनलाल व अम्बालाल है तथा अम्बालाल की मृत्यु हो गयी है तथा राजस्व रेकॉर्ड में अम्बालाल का नाम अंकित नहीं होने से वादीगण उनके हक व हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है तथा वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या—01 द्वारा खुर्द—बुर्द करने की संभावना है इसलिये वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराने के अधिकारी है।.यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमाने पर पक्षकारान के मध्य अत्यधिक मुकदमेबाजी बढ़ने की प्रबल संभावना है।.यह कि प्रतिवादी संख्या—02 छगनलाल प्रतिवादी संख्या—01 का पुत्र है इसलिये वाद में आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या—03 प्रोपर पक्षकार होने से पक्षकार वाद है। वादीगणों ने तहसीलदार साहब से निवेदन किया कि उनके हक व हिस्से का राजस्व रेकॉर्ड का अंकन विरासत से किया जावे। मगर प्रतिवादी संख्या—01 के जीवित होने के कारण कोर्ट में दावा करने के अलावा कोई राहत नहीं है। यह कि वादीगणों के पिता स्व० अम्बालाल जी का देहान्त होने के कारण वादीगण को अपना नाम दर्ज कराने के कारण वाद हेतु पैदा हुआ है तथा वादीगणों ने प्रतिवादी संख्या—01 को निवेदन भी किया तो उन्होंने राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज करने की मना कर दी इसलिये यह वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। पक्षकारान अदालत आपके न्याय क्षेत्र के निवासी है तथा विवादित आराजीयात आपके क्षेत्र में होने से श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार आप न्यायालय का है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमावें तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या–01 के विरुद्ध मोजा गाँव जीतावास एवं मण्डफीया खेडा तहसील रेलमगरा के राजस्व खाते में अंकित 1/3 हक व हिस्से में उनका व प्रतिवादी संख्या–02 का हक व हिस्सा दर्ज फरमावें तथा राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त फरमावे। इसी तरह परिशिष्ट–ब में अंकित आ.चा. में भी उनके हक व हिस्सानुसार नाम अंकित करावे। वाद खर्चा एवं अन्य न्यायोचित दाद दिलाना फरमावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की और से जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। तथा प्रतिवादी संख्या 03 भूमिधारक एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्व किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही गई है, जिससे जवाब की आवश्यकता नही रही।,उक्त दावे एंव जवाब दावे अनुसार पत्रावली पर तनकियात विरचित की गयी। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहा।

वादी ने अपने वाद के सर्मथन में गवाह पी0डब्ल्यू – 01 इन्द्रादेवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा लिखीत बहस प्रस्तुत की गई । बहस व तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

उपरोक्तानुसार अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T.A. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर गाँव जीतावास, एवं मण्डफिया खेड़ा, तहसील रेलमगरा के खाता परिशिष्ठ अ व ब में हजारी पिता उदयराम 1/3 हिस्से में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को 1/3 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या– 146/2018 वाद पत्र

अनवान

वादीपक्ष :–

1 इन्द्रा देवी बेवा अम्बालाल जाति गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा

2– सुश्री निकु, पुत्री स्व० अम्बालाल जाति गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा

3– राहुल, पुत्र स्व० अम्बालाल जाति गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा

(दोनों निवासी जीतावास, दोनों जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती इन्द्रा देवी बेवा अम्बालाल जी गाडरी)

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1– हजारी पुत्र उदयराम गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

2– छगनलाल पुत्र हजारी गाडरी, निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वादः अर्न्तगत धारा – 88,92 ए, आर.टी.ए.

वादी की ओर सेः– अधिवक्ता चावण्ड सिह

प्रतिवादी की ओर सेः– अनुपस्थित

मे इस आशय में दिनांक 26.02.202 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है, कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T.A. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर गाँव जीतावास, एवं मण्डफिया खेड़ा, तहसील रेलमगरा के खाता परिशिष्ठ अ व ब में हजारी पिता उदयराम 1/3 हिस्से में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को 1/3 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

आज दिनांक को 24.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दूबाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा